

# बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या – पी०आर० / 2023

इण्टरमीडिएट सत्र 2023–2025 में राज्य के कतिपय छात्रों का नामांकन उनके आवास से दूर के शिक्षण संस्थानों में हो जाने के कारण (जिसके फलस्वरूप उनकी उपस्थिति में कमी हो जाती है) इण्टरमीडिएट कक्षा में नजदीक के विद्यालयों में नामांकन हेतु विद्यालय में परिवर्तन का मौका एवं स्पॉट नामांकन (Spot Admission) के संबंध में राज्य के इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य तथा नामांकन हेतु इच्छुक विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना।

1. राज्य के कतिपय छात्रों का नामांकन उनके आवास से दूर के शिक्षण संस्थान में हो जाने के कारण वे नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा इन्टर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति भी विभिन्न विद्यालयों में की जा रही है। संबंधित इन्टर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में चयनित शिक्षकों के योगदान के उपरान्त इन शिक्षण संस्थानों में पठन-पाठन का कार्य सुव्यवस्थित हो जायेगा। शिक्षकों के विद्यालय में योगदान के उपरान्त दूर के शिक्षण संस्थानों में पूर्व से नामांकित विद्यार्थियों को उनके नजदीक के इन्टर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु विद्यालय में परिवर्तन करने का मौका देते हुए रिक्त सीटों के विरुद्ध पुनः स्पॉट नामांकन लेने की सुविधा प्रदान की जा रही है, ताकि विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थान की दूरी अधिक होने के कारण आने-जाने में असुविधा नहीं हो। इस हेतु इण्टरमीडिएट कक्षा में स्पॉट नामांकन (Spot Admission) की तिथि दिनांक 02.11.2023 से 10.11.2023 तक पुनः निर्धारित की जाती है।
2. ज्ञातव्य हो कि राज्य के इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं उस संस्थान में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों को सत्र 2023–2025 में इण्टरमीडिएट कक्षा में Online Facilitation System For Students (OFSS) प्रणाली से स्पॉट नामांकन (Spot Admission) के लिए समिति की विज्ञप्ति संख्या पी०आर० 227/2023 के माध्यम से दिनांक 21.08.2023 तक संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन लेने हेतु तिथि निर्धारित किया गया था।
3. एतद् द्वारा राज्य के वैसे इच्छुक छात्र, जिनका नामांकन उनके आवास से दूर के शिक्षण संस्थानों में हो गया है और वे अपने आवास से निकट के शिक्षण संस्थानों में इण्टर में नामांकन लेना चाहते हैं, को सूचित किया जाता है कि वैसे छात्र OFSS के वेबसाइट (www.ofssbihar.in) पर अपने आस-पास के शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध रिक्त की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इसके साथ ही विभिन्न +2/इण्टर महाविद्यालय के प्राचार्य स्पॉट नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्त सीटों से संबंधित सूचना अपने कॉलेज के न्यूनतम तीन स्थलों पर प्रदर्शित करेंगे।
4. स्पॉट नामांकन हेतु इच्छुक विद्यार्थी जिस संकाय एवं विषय में सीट रिक्त है, वहाँ नामांकन के लिए प्राचार्य से मिलकर अनुरोध करेंगे एवं संबंधित प्राचार्य रिक्त सीटों पर निर्धारित समयावधि में विद्यार्थियों का नामांकन ले सकेंगे। C.B.S.E, C.I.S.C.E एवं अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी भी स्पॉट नामांकन करा सकते हैं।
5. OFSS नामांकन प्रक्रिया के तहत प्रथम/द्वितीय सूची में चयनित तथा नामांकित विद्यार्थी जिन्होंने नामांकन के पश्चात् स्लाईड-अप का विकल्प दिया था, लेकिन स्लाईड-अप वाले संस्थान में अंतिम रूप से नामांकन नहीं ले सके, ऐसे विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उनका पूर्व में लिया गया नामांकन स्वतः रद्द हो गया है तथा उन्हें स्पॉट

210

- नामांकन के तहत नामांकन लेने के लिए फिर से ऑनलाईन आवेदन करना होगा, अन्यथा वे इण्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होने के योग्य नहीं होंगे।
6. इसी क्रम में सूचित किया जाता है कि जैसे शिक्षण संस्थान जहाँ कतिपय तकनीकी एवं अन्य कारणों से नामांकित विद्यार्थियों के नामांकन को ऑनलाईन अपडेशन नहीं किया जा सका है, जैसे विद्यार्थियों को भी स्पॉट नामांकन की अवधि के दौरान ऑनलाईन अपडेशन करने की सुविधा प्रदान की जायेगी।
  7. यह भी सूचित किया जाता है कि स्पॉट नामांकन के तहत जिन विद्यार्थियों का नामांकन विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा ससमय अपडेट नहीं किया जा सका था, वे भी इस अवधि में अपडेट करने का कार्य सुनिश्चित करेंगे।
  8. प्रत्येक दिन नामांकन के पश्चात् संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय OFSS Portal पर प्रत्येक नामांकित विद्यार्थियों का नामांकन Update करेंगे तथा सभी नामांकित विद्यार्थियों का अंतिम रूप से ऑनलाईन अपडेशन दिनांक 11.11.2023 तक करना सुनिश्चित करेंगे।
  9. समिति द्वारा ऐसे सभी नामांकित विद्यार्थियों को वर्ष 2025 में होने वाले वार्षिक उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए सुचीकरण किया जायेगा।
  10. स्पॉट नामांकन (Spot Admission) के संबंध में शेष सभी शर्तें समिति द्वारा पूर्व संसूचित विज्ञप्ति सं०-पी०आर० 225/2023 के अनुसार यथावत रहेंगी।

11.11.23

संयुक्त सचिव (OFSS)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

दिनांक-01/11/2023

ज्ञापांक-BSEB/OFSS/180/23...../पटना,

- प्रतिलिपि:-
1. जन सम्पर्क पदाधिकारी को समाचारपत्रों में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
  2. उप निदेशक, आई0टी0 (OFSS)/सिस्टम एनालिस्ट (OFSS) को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षण संस्थान के प्रधान एवं अन्य को इस विज्ञप्ति से अवगत कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए।
  3. प्रोजेक्ट मैनेजर, M/S CSM Technologies Pvt. Ltd. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
  4. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
  5. निदेशक आई0टी0/वित्त पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
  6. अध्यक्ष एवं सचिव के आप्त सचिव एवं विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

11.11.23

संयुक्त सचिव (OFSS)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

11.11.23

01.11.2023